आयोजनेत्तर

संख्या-2/1161/18-4-2014-9(2)/91

प्रेषक,

आर0ए0 सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 11 अगस्त,2014

विषयः-वित्तीय वर्ष-2014-15 में अनुदान संख्या-3 के अंतर्गत सी0जी0सी0आर0आई0, खुर्जा को सहायता योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-39-4/कांच अनु0-26/उद्योग/2014-15,दिनांक 16-7-2014 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-781/18-4-2014-9(2)/91 दिनांक 05-06-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0जी0सी0आर0आई0,खुर्जा को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के शेष 08 माह (अगस्त-2014 से मार्च,2015 तक) की आवश्यकता के लिए रू0 13,50,000/-(रू0 तेरह लाख पचास हजार) मात्र की अवशेष धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए उसे आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित नियमों/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार धनराशि को आहरित किया जायेगा।

3- योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014,दिनांक 22-7-2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के लेखा शीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग- आयोजनेत्तर-102-लघु उद्योग-03-सी0जी0सी0आर0आई0,खुर्जा को सहायता -27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा ।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22-7-2014 में प्रदत्त अधिकारो के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या-1161/18-4-204-9(2)/91, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- कोषाधिकारी कानपुर।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय,125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3
7- वित्त नियंत्रक,उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0ए0 सिंह)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in